प्रेषक,

विजय शंकर उपाध्याय,
प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
फतेहपुर।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांकः 279 / XV फतेहपुरः दिनांक 10 दिसम्बर, 2021

विषयः सम्पत्ति विवरण वर्ष 2017– 18 व 18–19 की चल अचल सम्पत्ति संबंधी आपत्ति निवारण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में आपत्ति के संबंध में सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांकः 9831/IV-3933/Admin (A) Date 28-06-2016 द्वारा वर्ष 2011–2012, 2012–13 व 2013–14 की चल अचल सम्पत्ति संबंधी विवरण मॉगा गया था जिसके अनुपालन में जनपद न्यायाधीश इटावा के पत्रांकः 1481/I दिनांकित 23.08.16 द्वारा मेरे द्वारा वर्ष 2011–2012, 2012–13, 2013–14 व 2014–15 की चल अचल सम्पत्ति संबंधी विवरण माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

उपरोक्तानुसार पुनः दो–दो वर्षो के कमानुसार जनपद न्यायाधीश इटावा के पत्रांकः 1582/I दिनांकित 08.08.017द्वारा मेरे द्वारा वर्ष 2015–2016 व 2016–17 की चल अचल सम्पत्ति संबंधी विवरण माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

इसी प्रकार मेरे द्वारा पुनः दो–दो वर्षो के कमानुसार मेरे द्वारा वर्ष 2017–2018 व 2018–19 की चल अचल सम्पत्ति संबंधी विवरण माननीय न्यायालय के ई–सर्वसेज पोर्टल पर दिनांक 06.11.2019 को अपलोड किया गया था।

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांकः 9831/IV-3933/Admin (A) Date 28-06-2016 के अनुसार मेरे द्वारा दो–दो वर्ष के अन्तराल पर चल सम्पत्ति का विवरण प्रेषित करने में वर्षानुसार कोई त्रुटि नहीं की गई है।

अतएव माननीय न्यायालय से सादर अनुरोध है कि त्रुटि निवारण करते हुए वर्षानुसार प्रस्तुत चल अचल सम्पत्ति विवरण यथावत रूप से स्वीकार करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांकः दिसम्बर, 10, 2021

भवदीय,

10.12.21

(विजय शंकर उपाध्याय)
प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय, फतेहपुर।